पत्र संख्या-वैट अनुभाग/2007-08/ 539 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(वैट अनुभाग)
दिनांक::::लखनऊ::::जनवरी 23 , 08

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 की धारा-74 के साथ पठित धारा-7 के खण्ड-ग के अधीन राज्य सरकार द्वारा विज्ञप्ति संख्या क0नि0-2-14/11-9(1)/01 उत्तर प्रदेश अध्यादेश-37-2008-आदेश-(3)-2008 दि0-10.1.2008 द्वारा देशी मदिरा, स्प्रिट तथा समस्त प्रकार की स्प्रिटयुक्त मदिरा जिसमे मिथाईल अल्कोहल भी सम्मिलित है, की खरीद बिक्री पर इस शर्त के अधीन करमुक्त किया गया है कि व्यापारी कर अवधि की विवरणी के साथ कमिश्नर, वाणिज्य कर उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र करनिर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि व्यापारी द्वारा संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 अथवा संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 के अधीन देय प्रतिफल शून्य अथवा आबकारी ड्यूटी का भुगतान कर दिया गया है। उपरोक्त प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। जैसा कि विज्ञप्ति में लिखा गया है कि प्रमाण पत्र का प्रारूप कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इस विज्ञप्ति के प्राविधानों के अनुसार प्रमाण पत्र का प्रारूप-ई निर्धारित किया जाता है। इसकी प्रतिलिपि संलग्न करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि आप इसकी प्रतियां समस्त व्यापारिक संघों, अधिवक्ता संघों, चार्टड एकाउण्टेण्ट संघ आदि के साथ साथ समस्त अधिकारियों को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा माह जनवरी 08 के रूपपत्र के साथ यह प्रमाण पत्र दाखिल करने हेतु संबंधित व्यापारियों को भी सूचित करने हेतु करनिर्धारण अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

ह0/-
(सुनील कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0,
लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ 1
3. सॅयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ (दो प्रतियो में)।
4. अध्यक्ष/निबन्धक उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवॅ समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0।
5. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/वि0अनु0शा0/अपील) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

6. अपर निदेशक/सॅयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
7. महालेखाकार, 171-ए, अशोक नगर, इलाहाबाद।
8. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
9. प्रबन्धक, इसेंटिव, पिकप, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

10. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
11. सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मांर्ग, इलाहाबाद।
12. विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंगं जोन, सेक्टर-10, नोयडा।
13. ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य वाणिज्य कर, गाजियाबाद।
14. ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असि0कमि0 (उ0न्या0कार्य0) वाणिज्य कर, लखनऊ / इलाहाबाद।
15. मैअनुल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमश: 5- 5 तथा 10प्रतियॉ।
16. वैट अनुभाग को 100 प्रतियां तथा विधि अनुभाग, वाणिज्य कर मुख्यालय को 25 प्रतियॉ।
17. समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
18. समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
19. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैलफेयर एसो0, 185/293, अमीनाबाद रोड, गणेश गंज, लखनऊ
20. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी-15, माल एवेन्यू, लखनऊ।
21. श्री श्याम बिहारी मिश्र, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349, आर्या नगर, संगीत टाकिज के पीछे कानपुर
22. श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुॅज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ।
23. श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29-बी, विधायक निवास दारुलस़फा, लखनऊ।
24. मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26, सिविल लाइन्स, कानपुर।
25. एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0, 4/180, विशाल खण्ड, पी0वी0-17, गोमती नगर, लखनऊ।
26. पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0, 1-ए, ला-प्लास, शाहनजफ रोड, लखनऊ।
27. अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0, ऐशबाग रोड, लखनऊ।
28. आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन, डी-4, साइट संख्या-3, मेरठ रोड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, गाजियाबाद।
29. कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 एसोसिएसन, प्लाट-ए, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

30. राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों / सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) के माध्यम से ।
31. प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10 इन्जीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली ।
32. शिव कुमार अरोडा, एडवोकेट, महा सचिव, उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार, एस0एस0कालेज रोड, खतौली जिला मुजफ्फरनगर ।
33. श्री मदन मोहन भरतीया, एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन, 26/103, बिरहाना रोड, कानपुर
34. प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ, डीन, फैकल्टी आफ लॉ, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस ।
35. प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़, 15, टैगोर टाउन, इलाहाबाद ।
36. डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579, इन्द्रा नगर, लखनऊ ।
37. श्री बी0एन0राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी, सिगरा, वाराणसी।
38. श्री अशोक धवन, सी के -24/1, कुॅंज गली, चौक, वाराणसी ।
39. श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मु0नगर।
40. श्री पी0एस0जैन, 138-ए, ब्लाक-ए, सेक्टर-27, नोयडा ।
41. श्री ब्रित चावला, महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ0प्र0ट्रक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि0), पुलदाल मण्डी, सहारनपुर ।
42. श्री आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद ।
43. श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0 निवासी, 60-चाहचन्द, इलाहाबाद ।
44. श्री शैलेश मिश्रा, महामॅत्री, लोहा व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश, 19-सुरेशबाग, कानपुर ।
45. इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए-8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर ।
46. संयोजक, टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0 (रजि0)52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड, मेरठ ।
47. टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम, जयपुर हाऊस, आगरा ।
48. श्री मलिक विजय कपूर, चेयरमैन, कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0, 51-बी, उद्योग नगर, कानपुर ।
49. श्री अनिल कुमार बंसल, दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स, एसो0 3-एक्स, गोखले मार्ग, लखनऊ ।
50. श्री दिनेश आरोरा, उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0, 51/58-ए, शक्कर पट्टी, कानपुर ।
51. श्री नन्द लाल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566, राजेन्द्र नगर, लखनऊ ।
52. श्री हुलास राय सिॅघल, प्रदेश अध्यक्ष, एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ ।
53. श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सॅगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उदयोग व्यापार मण्डल, (पॅजी0) बी-29, विधायक निवास, दारुल शफा, लखनऊ ।
54. माननीय अध्यक्ष, व्यापार कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ ।
55. श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, 27-ए, मिशन कम्पाउन्ड, मेरठ ।

56. श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, बी0एन0रोड, अमीनाबाद, लखनऊ।
57. अध्यक्ष, आई0आई0ए0 इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन भवन, विभूति खण्ड, फेस-2, गोमती नगर, लखनऊ-226010 फोन नं0 2720097।
58. वैट लॉ जनरल, 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड, मेरठ ।
59. वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल, मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा, सादाबाद गेट ,हाथरस।

ह0/-
(सुनील कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0,
लखनऊ।

फार्म - ई

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

[विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-14/ग्यारह-9(1)/08 दि0 10.1.2008 देखें]

एक्साईज ड्यूटी / प्रतिफल शुल्क / कर के जमा का प्रमाण पत्र

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि सर्वश्री -- -------------------------- द्वारा माह ---------------------------------- में निम्नलिखित विवरण के अनुसार माल की बिक्री / खरीद की गयी है और उस पर संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 / संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 के अंतर्गत देय एक्साईज ड्यूटी / प्रतिफल शुल्क / कर निम्न प्रकार जमा कर दिया गया है :-

क्र0सं0	वस्तु का नाम	मात्रा / परिमाप	बिक्री / खरीद की धनराशि	एक्साईज ड्यूटी / प्रतिफल शुल्क / कर
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1-				
2-				
3-				

	योग			

डीलर के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व प्रास्थिति
डीलर का नाम व पता

टिन											

हस्ताक्षर
जिला आबकारी अधिकारी का नाम व मुहर
तिथि

Form - E

Department of Commercial Taxes, Government of Uttar Pradesh

[See Notification No.-KA.NI.-2-14/Gyarah-9(1)/08 dt. 10.1.2008]

<u>Certificate of Deposit of Excise Duty / Consideration Fee / Tax</u>

It is hereby certified that M/s-------------------------------------- ------------------------------ has sold / purchased goods as detailed hereunder during the month ending on ------------------------------ and excise duty / consideration fee / tax payable under United Provinces Excise Act, 1910 / United Provinces Sales of Motor Spirits, Diesel Oil and Alcohol Taxation Act, 1939 as given below has been paid thereon:

S.No.	Name of goods	Measure / Quantity	Sale / Purchase Price	Excise Duty / Consideration Fee / Tax
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1-				
2-				
3-				

	Total			

Signature of the authorized signatory of the dealer
Name and status of the authorized signatory
Name and address of the dealer

TIN											

Signature
Name and seal
of the District Excise Officer

Date